मानव अधिकार और महिलाएं

सुहास कुमार

हम आज अक्सर यह बात सुनते हैं कि महिलाओं को उनके बुनियादी मानव अधिकार नहीं मिलते। आखिर यह अधिकार हैं क्या?

कुछ खास मानव अधिकार

हर इंसान के पैदा होते ही कुछ अधिकार बनते हैं, यह उन्हें मिलने ही चाहिए।

- हर इंसान चाहे वह किसी जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, देश राजनैतिक मत का हो उसके साथ कहीं भी कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा।
- हर इंसान को जिंदा रहने, आज़ादी से रहने और सुरक्षा मिलने का अधिकार है।
- गुलामी और दासता से छुटकारा पाने का अधिकार।
- ज़ुल्म, ज़ोर ज़बर्दस्ती, शारीरिक और मानसिक तकलीफ़, अपमानित होने के हालातों से छुटकारा पाने का अधिकार है।
- कानून के सामने बराबरी का दर्जा, बराबरी से कानूनी मदद और इंसाफ़ पाने का हक़।
- मनमानी गिरफ्तारी या हवालात में बंद करना या देश निकाला देना गलत है।
- सबको एक अपना कोना अपनी जगह चाहिए। घर, परिवार के अंदर भी यह मिलना चाहिए। दूसरों के बीच दखल देना, दूसरों के पत्र पढ़ना गलत है।
- हर इंसान को इज्ज़तदार ज़िंदगी बिताने का हक़ है।
- अपनी मर्ज़ी से शादी करने, परिवार बनाने का हक़ है।
- पैसा व माल-भत्ता कमाने, जमीन खरीदने का अधिकार है।
- अपनी बात कहने, अपना धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक नज़रिया बताने का हक़ सभी को है।
- शांति से सभा, धरना, रैली करने का हक़।
- सरकार यानी शासन और प्रशासन (सरकारी नौकरियों) में बराबरी से भाग लेने का हक़।
- सभी सरकारी अर्ध सरकारी व ग़ैर सरकारी योजनाओं तक बराबर की पहुंच।

- समाज में सुरक्षित ढंग से रहने का हक़।
- रोज़गार का हक़, बराबर के काम के लिए बराबर का मेहनताना, ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार, उसमें हिस्सा लेने का अधिकार।
- आराम व मनोरंजन का हक़।
- शिक्षा और जानकारी पाने का हक़।
- सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में भागीदारी।
- शरीर और मन से स्वस्थ ज़िंदगी बिताने का हक़।

हरेक का यह भी हक़ बनता है कि वह ऐसे समाज में रह सके जहां ऊपरी सभी हक़ और सुविधाएं उसे मिल सकें। यह बहुत ज़रूरी है कि हर कोई यह सब जाने। अधिकार बहुत नज़दीकी से जुड़े होते हैं। अक्सर जब लोग अपने कर्तव्य नहीं करते हैं तो दूसरे को उसके अधिकार नहीं मिल पाते हैं।

महिलाओं के मानव अधिकार

बहुत पुरानी बात तो नहीं जानते, लेकिन जब से इतिहास लिखा गया है महिलाओं की स्थिति कमज़ोर ही रही है। चाहे परिवार में देखें या फिर समाज में, अर्थव्यवस्था में या राजनीति में, महिलाओं की स्थिति दिन-ब-दिन कमज़ोर ही हुई है। आज भी उनको उनके कानूनी और दूसरे हक़ नहीं मिलते। मानव अधिकार तो दूर की बात है।

ऊपर दिए गए सब अधिकार तो महिलाओं को इंसान होने के नाते मिलने ही चाहिए, लेकिन एक महिला होने के नाते भी उसके कुछ ख़ास अधिकार हैं। आज भी हमारे समाज में कन्या शिशु अनचाही ही है। कन्या शिशु भ्रूण हत्या, जन्म के तुरंत बाद हत्या या फिर बिना ठीक से देखभाल के उनके ज़िंदा रहने न रहने की कोई परवाह न होना, बाल विवाह, दहेज़, सती, विधवा का फिर से ब्याह न होने देना सभी रीति रिवाज़ों के चलते महिलाओं के मानव अधिकार उन्हें नहीं मिलते। रोज़गार, वेतन, कानूनी, आर्थिक, सामाजिक हर जगह महिलाओं के हाथ ग़ैर बराबरी ही आती है।

महिला होने के नाते उनके कुछ खास अधिकार हैं जैसे उनके शरीर व यौनिकता पर उनका अधिकार, कब और कितने बच्चे पैदा करें—फ़ैसला लेने का अधिकार, कौन सा गर्भ-निरोध का तरीका इस्तेमाल करें, गर्भपात कराने न कराने आदि का फ़ैसला लेने का हक़ उन्हें मिलना ही चाहिए। महिलाओं के साथ यौनिक छेड़छाड़, शीलभंग, बलात्कार, पति द्वारा जोर ज़बर्दस्ती सभी उनके बुनियादी अधिकारों पर हमला है। अब यह सभी अधिकार मानव अधिकारों की सूची में शामिल हो चुके हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह माना गया है कि महिलाओं

के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा।

अब सवाल यह उठता है कि इन मानव अधिकारों को लागू कौन करवाएगा? अगर किसी के साथ ज़्यादती हो रही है तो रपट कहां दर्ज करवाई जाए? मानव अधिकारों में मानवीय भावना का खास महत्व है। अगर हम एक दूसरे का आदर करते हैं ठेस नहीं पहुंचाते हैं तो इसका मतलब है कि हम दूसरों के मानव अधिकारों पर हावी नहीं हो रहे हैं। सबसे बुनियादी बात है मानव अधिकारों की जानकारी होना व उन्हें अच्छी तरह समझना, इनके लिए किसी को सज़ा देना और भी कठिन है।

फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों को मानव अधिकार आयोग बनाने पर ज़ोर दिया गया है। भारत में भी करीब 4 साल से यह आयोग कारगर है। आजकल इसके अध्यक्ष न्यायाधीश एम.एन. वेंकटचालिया हैं। इनका हर माह एक सूचना-पत्र भी निकलता है। किसी प्रकार के अत्याचार होने पर सीधे इन्हें लिखा जा सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग भी अब इनके साथ मिलकर काम करेगा। शिकायत वहां भी पहुंचाई जा सकती है।

मानव अधिकार आयोग का काम है देश की सामाजिक दशा में सुधार। बच्चे, महिलाएं व पिछड़े वर्ग पर इन्हें खास ध्यान देना है। यह व्यक्तिगत ज़्यादती के केस भी लेते हैं। अभी हाल में इन्होंने राजस्थान के धौलपुर की गीता का केस लिया है। 18 साल की गीता जब ससुराल में सताए जाने से तंग आकर मायके आ गई तो उसके भाई ने उसे अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। पहनने को कपड़े नहीं ताकि भाग न सके, खाने को जूठन, पड़ोसियों को बताया कि वह पागल है, यह सिलसिला डेढ़ दो साल चला। एक गुमनाम पेटीशन मिलने पर मानव अधिकार आयोग की टीम ने उस लड़की को आधी बेहोशी की हालत में निकाला। लड़की अस्पताल में है और भाई फ़रार, उसकी तलाश ज़ारी है।

आप भी अपने बुनियादी मानव अधिकारों की मांग कर सकती हैं, घर, बाहर अधिकारों के प्रति जागरूक हों, औरों को जागरूक बनाएं। अधिकारों को पाने के लिए जरूरी लड़ाई भी लड़ें। कोशिश करें इंसान इंसान के हक़ न छीनें। यह हमारा अपने प्रति और पूरी स्त्री जाति के प्रति कर्तव्य भी बनता है। □